वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, 400 के. व्ही लाईन निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कांकेर द्वारा बस्तर एवं दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत 220 के. व्ही जगदलपुर–बारसूर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 70.782 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रभावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन भूमि (हे. में)	राजस्व वन भूमि (हे. में)	कुल वन भूमि (हे. में)
1	दंतेवाड़ा	35.204	12.043	47.247
2	बस्तर	-	23.535	23.535
	योग	**35.204**	**35.578**	**70.782**

उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 28/12/2017
स्थानः रायपुर

(आर. के. सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़